UPGK010023222026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,

(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-985/2026

अभिषेक सिंह उर्फ अंशु सिंह पुत्र बट्टे कृष्ण सिंह, उम्र लगभग- 38 वर्ष, निवासी- मदरसन, थाना- गौरी बाजार, जिला-देवरिया, उ०प्र०। .... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या-53/2026

धारा- 64(2)(m),351(3) बी०एन०एस०

थाना- एम्स, जनपद- गोरखपुर।

01- आवेदक/अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ अंशु सिंह द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ **बट्टेकृष्ण सिंह** का शपथ पत्र संलग्न है। शपथ-पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त इसके पूर्व मुकदमा अपराध संख्याज में कोई भी जमानत प्रार्थना-पत्र श्रीमान या श्रीमान के समकक्षीय किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल हुयी है और न ही विचाराधीन है और न खारिज हुयी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले की पीड़िता (Victim) की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी पीड़िता का नाम आया है, वहां उसे इस जमानत आदेश में मात्र "पीड़िता" शब्द से संबोधित किया गया है।

02- अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा (पीड़िता) पत्नी मनमोहन सिंह स्थायी पता- बाल खुर्द, थाना- चौरी चौरा, जनपद- गोरखपुर, हाल मुकाम पता- रामपुर, पन्द्रह मील चौराहा, थाना- एम्स, जनपद- गोरखपुर की निवासिनी है। रामपुर पन्द्रह मील चौराहे पर उसके पति की दुकान है और वह अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। उसके पति के मित्र अभिषेक सिंह, जो व्यवसाय के सिलसिले में उसके दुकान व घर पर आते-जाते रहते थे। इसी क्रम में दिनांक 8.2024 को उक्त अभिषेक सिंह उसके रामपुर पन्द्रह मील चौराहे पर स्थित मकान पर व्यवसायिक कार्य के बहाने आया, उस वक्त वह अपने घर पर अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर उक्त अभिषेक सिंह उसके साथ जबरन बलात्कार किया और वीडियो भी बना लिया और घटना की जानकारी किसी को देने पर उक्त अभिषेक सिंह उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। जिसके बाद उक्त अभिषेक सिंह उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ आये दिन बलात्कार करता था तथा फोन पर जबरन बात करने के लिए भी बाध्य करता था। जब उसने विरोध करना शुरू किया तो अभिषेक सिंह वह वीडियो

वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया।

03- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मामले में पूर्णतया निर्दोष है। आवेदक का मामला उपरोक्त से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आवेदक ने तथाकथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को हैरान व परेशान करने की नियत से वादिनी मुकदमा व पुलिस की मिलीभगत से मामले उपरोक्त में रंजिशन फंसा दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना दिनांक से दो वर्ष बाद खूब सोच-समझकर एवं विधिक राय देकर लिखवाया गया है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। प्रश्नगत मामले की वास्तविकता यह भी है कि आवेदक व मामले की कथित पीड़िता का पति हारवेस्टर की खरीद विक्रय का व्यवसाय करते है तथा दोनों लोगों में आपस में व्यवसायिक सम्बन्ध होने के कारण आपस में रूपयों का लेन-देन होता रहता था। उक्त व्यवसायिक लेन-देन के अनुबन्ध में आवेदक का पीड़िता के पति के पास लगभग मु०- 27,00,000/- रूपया की देनदारी शेष होने पर आवेदक द्वारा अपनी आवश्यकता हेतु आवेदक द्वारा कथित पीड़िता व उसके पति मनमोहन सिंह से रूपयों की मांग करने पर दिनांक 20.02.2026 को मनमोहन सिंह ने मु० 12,00,000/-रूपया का कथित पीड़िता के नाम का चेक संख्या- 000013 आवेदक को दिया। जिसको आवेदक ने पीड़िता के पति के निर्देशानुसार अपने पत्नी के खाते में लगाया, तो उक्त चेक पीड़िता के खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण बाउंस हो गया। उक्त चेक के बाउंस होने की सूचना आवेदक द्वारा कथित पीड़िता व उसके पति को देने पर दोनों लोग टाल-मटोल करते हुए आवेदक का बकाया उक्त रूपया वापस करके आनाकानी करते हुए टाल-मटोल करने लगे। आवेदक की आर्थिक हालत खराब हो जाने के कारण उक्त लोगों से रूपये वापस करने का दबाव बनाने पर मामले की कथित पीड़िता व उसके पति आवेदक का बकाया मु० 27,00,000/- रूपया वापस करने से मना कर दिया तथा धमकी दिये कि यदि दुबारा अपने उक्त बकाया रूपयों की मांग किया, तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देंगे तथा उक्त के अनुक्रम में ही मामले की कथित पीड़िता व उसका पति खूब सोच समझकर व विधिक राय लेकर एक विशुद्ध, मिथ्या, मनगढ़न्त, कपोलकल्पित व काल्पनिक तथा संदेहास्पद कथानक के आधार पर प्रश्नगत मुकदमा आवेदक के विरूद्ध दर्ज कराकर जेल में निरूद्ध करा दिया गया है, जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराये गए प्रथम सूचना तथ्य, पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान तथा पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिए गए बयानों में काफी विरोधाभाष होने के कारण आवेदक के विरूद्ध प्रश्नगत अभियोजन कथानक पूर्णतः काल्पनिक व संदेहास्पद प्रतीत होता है। आवेदक ने कदापि रूप से मामले की कथित पीड़िता का जबरदस्ती उसके घर जाकर न तो जबरन बलात्कार किया है और न ही वीडियो बनाया है और न ही उक्त वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए पुनः बलात्कार करते हुए जान माल की धमकी ही दिया है। जिससे आवेदक के विरूद्ध धारा- 64(2)(m),351(3) बी०एन०एस० का कोई अपराध गठित नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

04- सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्संग कारित

किया गया। अभियुक्त द्वारा पीड़िता का वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी भी दी गयी। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, किन्तु उसके द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

05- मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा संबंधित केस डायरी का अवलोकन किया।

06- केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया। अभियुक्त द्वारा पीड़िता का वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी भी दी गयी। पीड़िता के द्वारा धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथन में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्त की घटना में संलिप्तता के संबंध में तथ्य प्रकट किए गए हैं। पीड़िता द्वारा अपने धारा 183 बी०एन०एस०एस० के कथन में बताया गया है कि "मैं अपने पति के साथ रामपुर 15 मिल रहती थी। चौराहे पर वहां उनका नीचे उनकी दुकान थी और ऊपर मैं रहती थी। इनके दोस्त थे अभिषेक सिंह वो आते-जाते रहते थे। घर पर व्यावसायिक काम को लेकर एक दिन 05.08.2024 को वो मेरे घर शाम के समय आये। जब मेरे पति घर पर नहीं थे और जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया और मेरा वीडियो बनाए। मुझे वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देने लगे। जबरदस्ती उसी वीडियो की धमकी देकर बात करने को बोलते थे। हम इस घटना वाले दिन यह बात नहीं बताएं अपने पति को वीडियो वायरल के डर की वजह से। मैंने अप्रैल 2025 में यह बात बताई की अभिषेक सिंह ने मेरा बलात्कार किया और धमकी देता है। मेरे पति हमें लेकर बालखुर्द आ गए। वो फिर मुझे फोन करके परेशान करने लगा। जिससे पीड़ित होकर हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए। 05.08.2024 के बाद भी 2-3 बार वह बलात्कार किया धमकी देकर डेट नहीं याद पर उस समय भी डर की वजह से नहीं बता पाई मैं।" उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने का तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। आवेदक/ अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण-दोष पर विचार करते हुए न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त नहीं हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अभिषेक सिंह उर्फ अंशु सिंह** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 53/2026 अन्तर्गत धारा- 64(2)(m),351(3) बी०एन०एस०, थाना- एम्स, जनपद- गोरखपुर के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 20.03.2026

(मनोज कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code- UP3835

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.20 17:44:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court